

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (263) ग्राविवि/ग्रुप-5/जीकेएन/उपापन/ 2015-16 जयपुर, दि. 08.2016

1. जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


विषय:- दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से ई-उपापन (E-Procurement) की प्रारम्भिक वित्तीय सीमा कम होने बाबत।

प्रसंग:- वित्त (G&T) विभाग के अ.शा.टीप क्रमांक एफ 1(4)FD/GF&AR/2014 दिनांक 26.07.2016

विषयान्तर्गत वित्त (G&T) विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा सभी उपापन संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विभिन्न सामग्री व सेवाओं तथा कार्यों के ई-उपापन (E-Procurement) की प्रारम्भिक वित्तीय सीमा दिनांक 01 सितम्बर 2016 से निम्नानुसार कम गई है :-


S.No.	Subject Matter of Procurement	Present Threshold Limits	Threshold Limits from 01.09.2016
1	Goods and Services	Rs. 25 Lakhs	Rs. 10 Lakhs
2	Works	Rs. 10 Lakhs	Rs. 05 Lakhs

अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, उनके कार्य क्षेत्र के अधीन की जाने वाली सभी खरीद, सेवाएँ तथा कार्यों को उपापन दिनांक 01.09.2016 से उक्त वित्तीय सीमा के अनुसार ई-उपापन (E-Procurement) कराने हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को सर्वेदनशील करने एवं आवश्यक तैयारी कराने का श्रम करावें।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
7. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (G&T) विभाग को उनके अ.शा.टीप क्रमांक एफ 1(4)FD/GF&AR/2014 दिनांक 26.07.2016 के क्रम में।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन सचिव/वित्तीय सलाहकार/समस्त अधीक्षण अभियंता गण, ग्रावि एवं परावि/ईजीएस।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मों.एवं.मू) ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधीक्षण अभियंता पंचायती राज/ईजीएस ग्रामीण विकास विभाग।
11. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर समस्त राजस्थान।
12. अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस/अभि जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)